आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–3/201

विपीन शंकर प्रसाद सिंह —————— अपी

बनाम

रासाशीष यादव वगैरह —————— उत्त

—:आदेश:—

7-11-12 अपीलकर्त्ता विपिन शंकर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 सिंह, ग्राम–दुर्गापुर, थाना–मुफ्फसिल, जिला–खगड़िया ने पिता–खेलावन यादव ग्राम–उमेश नगर तारतर, थाना–मुफ्फसिल वो विवेक प्रसाद सिंह पिता–विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ग्राम–दुर्गापुर, जिला–खगड़िया को उत्तरवादी बनाते हुए यह अपील वाद समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–1/09–10 में विरूद्ध दायर किया है।

अपीलार्थी का कहना है कि उत्तरवादी रासाशीष या उप समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में एक आवेदन दिया कि जौजे स्व0 उमेश्वर प्रसाद सिंह को दुर्गापुर के जमाबंदी सं0– निम्नलिखित जमीन थी

मौजा	खाता	खेसरा	रक
			डि0
दुर्गापुर	206 207 197	781 801 817 815	02– 01– 03– 09–

रासाशीष यादव ने यह भी लिखा कि ग

आदेश की क्रम सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

पीलाथी ने अपने आवेदन पत्र में आगे लिखा है
कि हल्का अंचल में यह भी लिखा है कि विपिन शंकर
दुर्गापुर में जो खेसरा सं0—527 एवं 562 की 8 कट्ठा 5 धूर
हासिल हुयी दाखिल खारिज के समय भूलवश जमाबंदी सं0
जमाबंदी सं0—227 विपिन शंकर प्रसाद सिंह के नाम से
लिपकीय भूल है जो सुधार योग्य है।

उत्तरवादी रामाशीष यादव का आगे कथन है कि
वर्ष 1988 में नावल्द मरणोपरांत उनकी सारी छोड़ी हुयी सम्प
बजरंग प्रसाद सिंह के पोते विवेक प्रसाद सिंह उत्तरवादी सं0—
होने का नाते हुए और विवेक प्रसाद सिंह ने खेसरा 817 एवं 81
धूर जमीन 07.02.2007 वजरिये निबंधित केवाला उत्तरवादी रामा
विक्री कर दी। जब दाखिल खारिज कराने गए तो पता
सं0—6/12 के मात्र 2 कट्ठा 7 धूर 10 धूरकी जमीन ही शेष
तक खेसरा 527 एवं 562 की 8 कट्ठा 5 धूर 12 धूरकी जमीन
से वटाकर जमाबंदी सं0—6/12 पर नहीं आयेगा तब तक दाखि
सकता है।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि हल्का कर्मचारी
एवं 2 के मेल में आकर गलत प्रतिवेदन दिया गया है। जमाब
नं0—6287 की जमीन है जो निम्न प्रकार है :—

मौजा	खाता	खेसरा	रक वी
दुर्गापुर	213	527	00
		562	00
	44	112	00

कुल—01

अपीलार्थी ने आगे कहा है कि मौजा दुर्गापुर के ह
दिए गए प्रतिवेदन में खेसरा 527 एवं 562 की जमीन तौजी नं
गयी है जो सरासर गलत है। वास्तव में मो0 बच्ची देवी ने अ
अन्य खाता खेसरा के अलावे खेसरा 527 की 2 कट्ठा 18 ध
खेसरा 562 की 5 कट्ठा 7 धूर 2 धूरकी जमीन यानी 8 कट्ठ
तौजी नं0—6290 की जमीन वजरिये निबंधित दानपत्र विपिन शं
पक्ष में लिख दिया जिस पर विपिन प्रसाद सिंह दखल कब्जे में
खारिज उपरांत ज[illegible] सं0—277 कायम हुयी।

[illegible]	आदेश और [illegible] का हस्ताक्षर
1	2

खेसरा [illegible] एवं 562 रकवा 8 कट्ठा 5 धूर 12 धूरकी जमी
सं0--629[illegible] है अन्य जमीन के अलावे लिख [illegible] तथा उक्त जमीन
हुए।

उत्तरवादी रामाशीष यादव ने जबाब दाखिल करते
यह बाद कालबाधित है तथा अपीलार्थी विपिन प्रसाद सिंह ने मौ
जमीन के साथ मौजा दुर्गापुर तौजी 6290 में निम्नलिखित भूमि प्रा

मौजा	खाता	खेसरा	रक वि0
दुर्गापुर	213	527	00--
		562	00--
			00--

उत्तरवादी सं0--1 ने अपने जवाब में यह भी स्वी
दुर्गापुर मौजे में की तौजी 6290 में मो0 बच्ची देवी के नाम निम्न

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वि0 क0
दुर्गापुर	206	781	02--07--
	207	801	01--16--
	207	817	03--16--
	197	819	00--09--

कुल:-- 08--09--

इनका कहना है कि विपिन प्रसाद सिंह ने दिनां
दान पत्र दस्तावेज द्वारा मो0 बच्ची देवी का जमाबंदी सं0--6/12
नहीं किया था लेकिन विपिन शंकर प्रसाद सिंह के जमाबंदी सं0--
के जमबंदी सं0--6/12 से 8 कट्ठा 5 धूर 12 धूरकी जमीन
जमाबंदी 277 में शामिल कर दिया गया है जो त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि
समाहर्त्ता भूमि सुधार खगड़िया द्वारा अपने आदेश दिनांक--13.04.
आदेश पूर्णतः वैधानिक है।

उत्तरवादी ने आगे कहा है कि जमाबंदी 6/12
781, 801, 819, दिनांक--17.05.1985 को विपिन शंकर प्रसाद सि
किया बल्कि खेसरा 527 एवं 562 की कुल रकवा 8 कट्ठा 5 धू

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	उत्तरवादी का के ... दिनांक--07.02.2007 संलग्न है जिसका अव... विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि... का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा ... विपिन शंकर प्रसाद ... का खाता 213 खेसरा 527 एवं 562 रा... खाता--207 खेसरा--817 तथा खाता--197 में खेसरा 819 विलकु... है। खाता 213 खेसरा 527 एवं 562 की जमीन गलत जमाबंदी ... कारण परेशानी पैदा हुई है। उन्होंने जमाबंदी पंजी के परिशीलन ... जमाबंदी सं0--6/12 तौजी नं0--6290 की जमाबंदी है जिसमें ... 801, 817 तथा 819 की जमीन है ~~जबकि खाता 213 खेसरा 527~~ ... 6287 की जमाबंदी सं0--3 की जमीन है। जमाबंदी सं0--3 के ... प्राधिकार कॉलम में तत्कालीन हल्का कर्मचारी ने इस जमाबंदी ... जमाबंदी सं0--277 में जो रकवा दर्ज किया है किन्तु भूलवश जमा... परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी सं0--3 के ब... दाखिल होना लिख दिया है।
	विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने उक्त के आलोक... के जमाबंदी सं0--277 में सम्मिलित खेसरा 527 एवं 562 की 8 ... धुरकी जमीन को पुनः वापस तौजी नं0 6290 के जमाबंदी में ... अंचल अधिकारी, खगड़िया को दिया है साथ ही तौजी नं0--6... नं0--277 का खाता 213 खेसरा 527 एवं 562 की जमीन जिसमें ... के जमाबंदी से उसे खारिज होने का आदेश तो हुआ किन्तु ... तौजी 6287 जमाबंदी सं0--3 से उक्त खाता खेसरा की 8 कट्ठा ... जमीन खारिज कर तौजी 6290 के जमाबंदी सं0--277 में करन... अंचल अधिकारी, खगड़िया को प्रेषित किया गया है।
	उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष प... विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित उपर्युक्त ... होता है तथा उसे रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी ... पत्र खारिज किया जाता है।
	लेखापित एवं संशोधित
	अपर समाहर्त्ता ... आयुक्त